राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1034/2011

रामवतार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन खण्ड, कोटा।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, जल संसाधन कोटा,
4. कोषाधिकारी, झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वरिष्ठ लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग, कोटा के द्वारा दिनांक 23.02.2011 को कोषाधिकारी, झालावाड को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह अंकित किया था कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजकीय आवास की किराये की राशि 457856/– बकाया है और उक्त बकाया राशि अभी तक जमा नहीं हुई है।
2. अपील के जवाब में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि 476124/– रूपये होना बताया है।
3. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता कथन रहा है कि चूंकि अभी तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी से किराये के सम्बन्ध में कितनी राशि वसूली योग्य है। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध वसूल की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।
4. उल्लेखनीय है कि इस अपील में अधिकरण ने आदेश दिनांक 26.07.2011 के द्वारा अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का अन्तरिम स्थगन आदेश दिया था।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि वह प्रत्यर्थी विभाग को वसूली योग्य राशि के सम्बन्ध में आपत्तियां अंकित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, जिस अभ्यावेदन के आधार पर अपीलार्थी की

आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि की पुनः गणना कराई जावें। पुनः गणना के पश्चात जो भी राशि नियमानुसार अंतिम रूप से बकाया निकलती है वह अपीलार्थी जमा कराने के लिये तत्पर है।

6. अपीलार्थी के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी आपत्तियों को दर्ज करते हुए एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को एक माह में प्रस्तुत करेगा। जिस अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि की पुनः गणना करेगा व सक्षम स्तर से अनुमोदित करेगा। पुनः गणना के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग यदि अपीलार्थी से कोई वसूली योग्य राशि पाता है तो उसका नोटिस प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को देगा। अंतिम वसूली योग्य राशि यदि कोई पायी जाती है तो उस राशि को अपीलार्थी तीन माह में जमा करायेगा। वसूली की राशि की अंतिम रूप से गणना किये जाने तक अपीलार्थी से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाए। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)